**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 681

उत्‍तर देने की तारीख : 27.07.2015

**निजी-सार्वजनिक भागीदारी में संयुक्त उद्यम अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करना**

**681. श्री डी॰ बंदोपाध्यायः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में पियरसन कंपनी और सीबीएसई को निजी-सार्वजनिक भागीदारी में संयुक्त उद्यम अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के वैध हितों को अनदेखा करते हुए पियरसन जैसी निजी कंपनी को प्राथमिकता क्यों दी गई, विशेषतः तब जबकि सीबीएसई, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम का प्रयोग करता है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जुलाई, 2012 में विधिवत प्रक्रिया के बाद पियर्सन चेरिटेबल फाउण्‍डेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। हालांकि, फाउण्‍डेशन द्वारा समझौता ज्ञापन में अनेक प्रतिबद्धतांए पूरी न किए जाने के कारण 27 जुलाई, 2014 से भागीदारी व्‍यवस्‍था समाप्‍त कर दी गई है।

\*\*\*\*